न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 43 / 2019

1 दीनबन्धु जालान आयु 60 वर्ष पुत्र बिड़दीचन्द जालान जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 38 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू हाल निवासी 1503 अविंग एस्टर टावर गोकुलधाम मालाड (ईस्ट) मुम्बई जरिये मुख्तयार खास मुकेश जालान पुत्र किशोरी लाल जालान जाति महाजन निवासी किशोरीलाल जालान किराणा मर्चेन्ट छावनी बाजार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 रमाकान्त बावलिया तथाकथित गोद पुत्र मदनलाल बावलिया जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 19 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू पॉवर ऑफ अटोर्नी काशीराम जाति जीनगर निवासी वार्ड नम्बर 19 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी
दीनबन्धू जालान बनाम रमाकान्त बावलिया प्रार्थना,
पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. मुकदमा नम्बर
16 / 2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 27-01-2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 16/2017 में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट के विरूद्व अदालत मातहत में जमीन हाल खसरा नम्बर 450 रकबा 0.62 हैक्टेयर सरहद कस्बा झुंझुनू के बाबत दावा उनवानी मु. गीता देवी बनाम दीनबन्धू जालान दावा संख्या 74/2009 प्रस्तुत किया जो बहक रेस्पोडेंट दिनांक 22.12.2015 को निर्णित होकर डिक्री हुआ और उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में रेस्पोडेंट के हक में जरिये नामान्तकरण संख्या 33/2017 दिनांक 29.12.2015 कस्बा झुंझुनू राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 के विरूद्व अपीलांट के द्वारा अदालत हाजा में अपील उनवानी दीनबन्धू जालान बनाम रमाकान्त बावलिया अपील संख्या 219/2015 प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 13.02.2017 के द्वारा अपीलांट के हक में निर्णित होकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 को खारिज किया गया। अदालत मातहत के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां अपील/टी.ए./851/2017/झुंझुनू उनवानी रमाकान्त बावलिया बनाम दीनबन्धू जालान प्रस्तुत की गई जो उक्त न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 25.01.2019 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज की गई और अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 13.02.2017 को यथावत रखा गया। अपीलांट ने अदालत मातहत के यहां एक प्रार्थना पत्र संख्या 16/2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

उनवानी दीनबन्धू जालान बनाम रमाकान्त बावलिया अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया। अदालत मातहत ने अपीलांट की उक्त प्रार्थना पत्र को सम्बंधित दावा संख्या 74/2009 उनवानी मु. गीता देवी बनाम दीनबन्धू जालान वगैरह में निर्णय दिनांक 10.04.2019 के द्वारा निर्णित कर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया। इसके बाद निर्णय का हवाला प्रार्थना पत्र संख्या 16/2017 के आदेशिका में दिनांक 15.04.2019 को दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 अस्तित्व में नही रहा और विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन होता है उस निर्णय व डिक्री के निरस्त होने पर राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल होना एक आदेशात्मक प्रकिया है। कानून से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करने का दायित्व स्वंय अदालत मातहत का था और किसी भी सुरत में गलत राजस्व रिकार्ड को कायम रखने की इजाजत कानून से नही दी जा सकती है। निर्णय जैर बहस में अदालत मातहत ने जो टुकडों में बेचान का हवाला दर्ज किया है वह बेचाननामा गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2017 के बाद में हुये है। अदालत मातहत ने तथ्य व विधि को नजर अंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। कानून से जिस डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये गये थे अगर वे डिक्री निरस्त की जा चुकी है तो फिर धारा 144 जा.दी. के तहत इन्द्राज को रिसटोरेट करना एक आज्ञापक प्रावधान है। इस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने 2015(2) आर.आर.टी. 1121 भैरूलाल बनाम चान्दी के केस में व अन्य मुकदमों में व्याख्या की है। उक्त नजीर अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट की तरफ से प्रस्तुत भी की गई थी परन्तु अदालत मातहत ने उक्त नजीर में निष्पादित सिद्वान्त को जानबुझकर

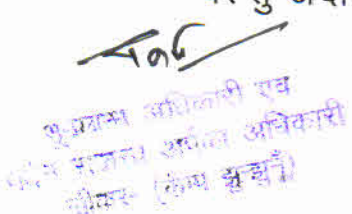

नजर अंदाज किया। इस प्रकार अदालत मातहत ने तथ्य व विधि की भूल कर अपीलांट के प्रार्थना पत्र को गलत रूप से खारिज कर दिया। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1121 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन होता है उस निर्णय व डिक्री के निरस्त होने पर राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल होना एक आदेशात्मक प्रकिया है। कानून से जिस डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये गये थे अगर वे डिक्री निरस्त की जा चुकी है तो फिर धारा 144 जा.दी. के तहत इन्द्राज को रिसटोरेट करना एक आज्ञापक प्रावधान है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट के विरूद्व अदालत मातहत में जमीन हाल खसरा नम्बर 450 रकबा 0.62 हैक्टेयर सरहद कस्बा झुंझुनू के बाबत दावा उनवानी मु. गीता देवी बनाम दीनबन्धू जालान दावा संख्या 74/2009 प्रस्तुत किया जो बहक रेस्पोडेंट दिनांक 22.12.2015 को निर्णित होकर डिक्री हुआ और उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में रेस्पोडेंट के हक में जरिये नामान्तकरण संख्या 33/2017 दिनांक 29.12.2015 कस्बा झुंझुनू राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 के विरूद्व अपीलांट के द्वारा अदालत मातहत में अपील उनवानी दीनबन्धू जालान बनाम रमाकान्त बावलिया अपील संख्या 219/2015 प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 13.02.2017 के द्वारा अपीलांट के हक में निर्णित होकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 को खारिज किया गया। अदालत मातहत के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां अपील/टी.ए./851/2017/झुंझुनू उनवानी रमाकान्त बावलिया बनाम दीनबन्धू जालान प्रस्तुत की गई जो उक्त न्यायालय की

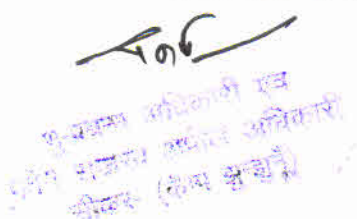

खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 25.01.2019 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज की गई और इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.02.2017 को यथावत रखा गया। अपीलांट ने अदालत मातहत के यहां एक प्रार्थना पत्र संख्या 16/2017 उनवानी दीनबन्धू जालान बनाम रमाकान्त बावलिया अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया। अदालत मातहत ने अपीलांट की उक्त प्रार्थना पत्र को सम्बंधित दावा संख्या 74/2009 उनवानी मु. गीता देवी बनाम दीनबन्धू जालान वगैरह में निर्णय दिनांक 10.04.2019 के द्वारा निर्णित कर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय का यह निर्णय प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

जहां तक धारा 144 का प्रश्न है इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1121 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि" Code of Civil Procedure, 1908 - Sec. 144- Rajasthan Tenancy Act, 1955- Secs. 88, 188&209 - Suit for declaration 1/2 share in the disputed arazi on the basis of the will - Land declared of joint khatedari of plaintiff Nos. 1&2 & ordered to delete the name of the defendants- Judgment set aside & application u/Sec. 144 C.P.C was allowed - RAA partly allowed the appeal & restored the order - order passed by the RAA is contarary to law- Decree passed by the SDO has already set aside therefore restoration of original position is mandatory - Held, Judgment passed by the RAA is set aside.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2019 को अपास्त किया जाता है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.12.2015 के आधार पर बने राजस्व रिकार्ड

से अनावेदक के नाम को हटाकर पूर्व की भांती आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड का प्रत्यास्थापन (Restitution) किये जाने का आदेश दिया जाता है। उभयपक्ष में वाद बाहुल्यता ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुये राजस्व रिकार्ड के प्रत्यास्थापन (Restitution) के उपरान्त विवादित भूमि के सन्दर्भ में वाद के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर